छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 133/2006

श्री कचरा दास .... **अपीलार्थी**
ग्राम–कांसा, व्हाया–डभरा
जिला – जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... **प्रतिअपीलार्थी**
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
डभरा,
जिला – जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

:: आदेश ::
(23 अगस्त 2006)

श्री कचरा दास ग्राम कांसा, तहसील डभरा के द्वारा अपर कलेक्टर जिला जांजगीर को दिनांक 20.3.06 को प्रस्तुत अपील का निर्णय समयावधि में न होने के फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी कचरा दास के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भूअर्जन प्रकरण क्रमांक 11 (अ) 82/1999–2000 दिनांक 31.12.04 को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रस्तावित अवार्ड की प्रति चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा नियमानुसार आवेदन शुल्क जमा किया गया। अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की गई। इससे असंतुष्ट होकर आवेदक ने अपर कलेक्टर, जांजगीर को द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, डभरा को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 11.07.06 को प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। अपीलार्थी के द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें जानकारी नहीं दी गई। अतः जानकारी समयावधि के अंदर न दिये जाने कारण अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि 25,000/– रूपये का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे? साथ ही कलेक्टर को निर्देश दिये गये कि कलेक्टर अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी दिये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि जानकारी ढूंढकर 15 दिन में निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

दिनांक 31.07.06 को प्रतिअपीलार्थी अनुविभाग अधिकारी, डभरा उपस्थित हुए। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा भूअर्जन के प्रकरण में प्रस्तावित अवार्ड मुआवजा गणना पत्रक की प्रतिलिपि की मांग की गई थी। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि गणना पत्रक एवं प्रस्तावित अवार्ड अंतिम रूप से कलेक्टर के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था अतः उसकी प्रति अपीलार्थी को नहीं दी जा सकती थी। कलेक्टर अपीलीय अधिकारी ने आयोग को सूचित किया कि गणना पत्रक की प्रतिलिपि तैयार कर अपीलार्थी को दी गई थी जिसे उसने लेने से इंकार किया। कलेक्टर कार्यालय के द्वारा चार बिन्दुओं पर आपत्ति लगाकर अनुविभागीय अधिकारी दिनांक 12.04.2005 को प्रकरण वापस किया गया तथा प्रकरण अभी अनुविभागीय के न्यायालय में लंबित है। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे जो गणना पत्रक दिया जा रहा था, वह प्रमाणित नहीं था अतः उसने लेने से इंकार किया। उसका यह भी कथन है कि यह केवल नोटशीट की नकल है। प्रस्तावित अवार्ड की प्रति नहीं है। यह जानकारी अपीलार्थी को 28 जून 2006 को दी गई। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उसे वांछित जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी डभरा के द्वारा दिनांक 21.08.2006 को फैक्स पत्र क्रमांक 669/अविअ/वाचक/06 डभरा, दिनांक 18.08.2006 की प्रति भेज कर आयोग को सूचित किया है कि संबंधित प्रकरण में कलेक्टर के द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण कर कलेक्टर को दिनांक 08.08.06 को प्रकरण भेज दिया गया तथा प्रस्तावित अवार्ड की छायाप्रति अपीलार्थी को भी पत्र दिनांक 08.08.06 के द्वारा भेजी गई जो कि अपीलार्थी को दिनांक 10.8.06 को प्राप्त हुई।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अभिलेख उपलब्ध रहते हुए भी समयावधि में जानकारी प्रदान नही की गई। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि चूंकि प्रकरण में अवार्ड को अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं किया गया था अतः अपीलार्थी को सूचित करने में भ्रम की स्थिति रही। चूंकि प्रस्तावित अवार्ड का प्रारूप अभिलेख का ही अंग है अतः उसे दिये जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। समस्त तथ्यों पर विचार कर अधिक अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है । जन सूचना अधिकारी पर 1000/– रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। साथ ही आदेश की प्रतिलिपी कलेक्टर को इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि कलेक्टर संबंधित प्रकरण में नियमानुसार विचार कर 15 दिन के अंदर अवार्ड के संबंध में निराकरण करें। अपीलार्थी को समय पर अभिलेख की प्रति न मिलने पर उसे आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है अतः उसे 250/– रूपये का मुआवजा दिये जाने का भी आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्देशों के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त